जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जन सम्पर्क अनुभाग

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत
किसानों को छह घंटे के ब्लॉक में निर्बाध बिजली आपूर्ति
ऊर्जा मंत्री ने की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा

जयपुर, 13 जनवरी। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठण्ड को देखते हुए रबी के सीजन में किसानों को निर्धारित 6 घंटे के ब्लॉक में निर्बाध बिजली की आपूर्ति एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग हेतु बिजली आपूर्ति में बढोतरी करने का निर्णय किया गया है। शनिवार से शहरी क्षेत्रों में पूर्व में जारी घोषित विद्युत कटौती में राहत देते हुए कटौती के समय में एक से दो घंटे की कमी की गई है।

ऊर्जा मंत्री डा0 जितेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को विद्युत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में विद्युत की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में वर्तमान में प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता एवं मांग के संदर्भ में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई।

डा0 सिंह ने कहा कि शनिवार से सम्भागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय, नगरपालिका क्षेत्रों में की जा रही घोषित बिजली कटौती में एक से दो घंटे की राहत दी जाएगी। संभागीय मुख्यालयों पर 3 घंटे के स्थान पर दो घंटे, जिला मुख्यालयों पर 4 घंटें के स्थान पर 3 घंटे एवं नगरपालिका क्षेत्रों में 6 घंटे के स्थान पर 4 घंटे ही बिजली कटौती की जाएगी।

उन्होनें यह भी बताया कि गांवों में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए सिगंल फेस विद्युत आपूर्ति के समय को बढाते हुए प्रातः 4 से 8 बजे तक एवं सांय 6 से 10 बजे तक घरेलू उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों को 6 घंटे के ब्लॉक में निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए तथा साप्ताहिक रुप से बदलते हुए सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिन एवं रात के ब्लॉक में बराबर बिजली की आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाए। जिन किसानों को एक सप्ताह रात्री के ब्लॉक में बिजली मिल रही हो उन्हें अगले सप्ताह में दिन के ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति के साथ ही दिन में प्रातः 6 से 12 बजे तक एवं 12 बजे से सांय 6 बजे तक ब्लॉक समय सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक शैलेन्द्र अग्रवाल, विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष सुधांश पंत, जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी ऐ.के. गुप्ता एवं निदेशक पावर ट्रेडिंग सी.एस.चण्डालिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 257/2012